

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज-फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 172 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 27-05-2016

स्थान: कुलपति सभाकक्ष
प्रशासनिक भवन,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, फैजाबाद ।

समय : 02.00 बजे अपरान्ह

उपस्थिति :-

1- प्रो० अख्तर हसीब , कुलपति	अध्यक्ष
2- श्री शिव राम त्रिपाठी ,संयुक्त सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ०प्र०शासन	सदस्य
3- डा० कृपा शंकर पाण्डेय अपर निदेशक कोषागार एवं पेशन फैजाबाद मण्डल फैजाबाद नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त ।	सदस्य
4- श्री वीरेन्द्र नाथ, अनुसचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र०शासन	सदस्य
5- डा० के०एस०सिंह अपर निदेशक प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन उ०प्र०	सदस्य
6- डा० ओ० पी० सिंह, संयुक्त सचिव प्रतिनिधि निदेशक कृषि उ०प्र०	सदस्य
7- श्रीमती सुचिता तिवारी , प्रख्यात उद्योगपति	सदस्या
8- श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह , वित्त नियंत्रक	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्री शिव राम त्रिपाठी ,संयुक्त सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग,उ०प्र०शासन एवं श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह ,वित्त नियंत्रक का स्वागत किया गया एवं माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया। तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत निर्णय लिया गया:-

प्रस्ताव सं० 172:1 प्रबन्ध परिषद की गत 169वीं बैठक दि० 07-08-2015, 170वीं बैठक दिनांक 19-12-15 एवं 171वीं बैठक दिनांक 03-03-2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रबन्ध परिषद की गत 169वीं बैठक दि० 07-08-2015, 170वीं बैठक दिनांक 19-12-15 , 171वीं बैठक दिनांक 03-03-2016 एवं भाग-ध एजेन्डा चकितार्थ की कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

२

प्रस्ताव सं० 172:2 : प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना -

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों के संमक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए तथा की गयी कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव चकितार्थ
27-04-2016

विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 625/67-कृशि० अ०-16-400 (6), दिनांक 31-03-2016 द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के बी० वी० एस० सी० एण्ड ए०एच० पाठ्यक्रम के बैच 2011-12 के अन्तिम वर्ष के छात्रों को इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ एवं शासन को सूचित करने विषयक एजेन्डा प्रस्ताव के अनुमोदन की पुष्टि।

उर्पयुक्त विषयक एजेन्डा प्रस्ताव चकितार्थ हेतु पत्रवाहक के माध्यम से पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी० /8/लेखा/प्र०परि०/2016/85 दिनांक 27-04-2016 द्वारा माननीय सदस्यों को प्रेषित किया गया था जिस पर प्रबन्ध परिषद के 08 माननीय सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है तथा 03 माननीय सदस्यों को प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया था, परन्तु दोबारा जब पत्रवाहक ने अभिमत पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित माननीय सदस्यों से सम्पर्क करना चाहा तो उनसे सम्पर्क न हो पाने के कारण अभिमत पत्र प्राप्त नहीं हो सका। अतएव प्राप्त अभिमत पत्र के आधार पर बहुमत को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। प्रबन्ध परिषद उपरोक्त निर्णय से अवगत हुयी।

प्रस्ताव सं० 172:3 शासनादेश सं० 324/67-कृशिअ-14-30(45)/2007 दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं शासनादेश सं० 222/67-कृशिअ-16-30 (45) /2007 दिनांक 19-04-2016 के अनुसार रिट याचिका सं. 1343 (एस०बी०)/2007 एवं रिट याचिका सं. 1117 (एस०बी०) /2007 के अनुसार याचीगणों को वेतनमान रू० 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू० 8000-13500) प्रदान किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद की बैठक में उर्पयुक्त प्रस्ताव प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के पत्र/शासनादेश सं० 222/67-कृशिअ-16-30 (45) /2007 दिनांक 19-04-2016 के अनुसार रिट याचिका सं.1343 (एस०बी०)/2007 एवं रिट याचिका सं. 1117 (एस०बी०) /2007 के आधार पर अवमानना वाद सं० 288(सी)/2013, 289(सी)/2013 तथा 290(सी)/2013 में पारित आदेश व प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के संदर्भित पत्र मात्र के निर्देशानुसार याचीगणों को वेतनमान रू० 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू० 8000-13500) बैठक की तिथि से प्रदान किये जाने हेतु प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पर होने वाले वित्तीय व्यय भार के वहन हेतु शासन से अतिरिक्त अनुदान की माँग की जाय।

प्रस्ताव सं० 1724 वित्तीय वर्ष 2015-16 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2016-17 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित आय व्ययक पर सहमति देते हुए यह संस्तुति की गयी कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की सीमा विश्वविद्यालय में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत रखी जाय ।

प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति के साथ यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय , उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय , मात्स्यिकी महाविद्यालय , अधिष्ठाता छात्र कल्याण , क्रीडा विभाग , प्रशासनिक अनुभाग, शोध निदेशालय जैसे अनेक विभागों व अनुभागों की बहुत सी गतिविधियाँ अनुदान के अभाव में सुचारुरूप से सम्पादित नहीं की जा पा रही है इसके लिए शासन से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हो जाने पर विश्वविद्यालय के किये कलापों में आशातीत प्रगति लायी जा सकती है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी 6 महाविद्यालयों व विभागों तथा अनुभागों को अगले बजट में शामिल करते हुए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

उपरोक्त से अवगत होते हुये वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 का आय व्ययक सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त अनुदान की माँग हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। शासन से अतिरिक्त अनुदान न प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय में उपलब्ध अनुदान एवं प्राप्तियों की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही के समापन के पूर्व अनुरोध के साथ प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से विश्वविद्यालय के कर्मचारियों / अधिकारियों के चिकित्सीय सुविधा को बेहतर बनाये जाने हेतु गम्भीर बीमारियों पर होने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति हेतु मार्गदर्शन चाहा जिस पर माननीय सदस्यों ने माननीय कुलपति/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद के कथन की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में ऐसे सुविधा का आँकलन करते हुए प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

28/5/16
(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

28.05.2016
(अख्तर हर्सीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद ।
पत्रांक एन०डी०यू०ए०टी०/८/प्र०परि०-172वीं बैठक/लेखा/2016/278 दिनांक 28-05-16
प्रतिलिपि -माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

28/5/16
(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज-फैजाबाद के प्रबन्ध परिषद की 173 वीं विशेष बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 16-09-2016

स्थान : सभाकक्ष
कृषि निदेशालय
कृषि भवन,
लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 3.00 बजे ।

उपस्थित :

- 1- प्रो० अख्तर हसीब , कुलपति -- अध्यक्ष
- 2- श्रीमती नन्दिता शुक्ला, मान० सदस्य विधान सभा -- सदस्य
- 3- जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, मा० सदस्य विधान सभा -- सदस्य
- 4- श्री राज कुमार सिंह, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ० प्र० शासन -- सदस्य
- 5- श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, अपर निदेशक कोषागार लखनऊ मण्डल
नामित सदस्य प्रमुख सचिव वित्त । -- सदस्य
- 6- डा० ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ० प्र० -- सदस्य
- 7- डा० सी०एस० यादव, ए०डी०आई०(प्लानिंग) प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन उ० प्र० -- सदस्य
- 8- श्री राज प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक -- सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष प्रबन्ध परिषद द्वारा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले माननीय सदस्य श्रीमती नन्दिता शुक्ला, मान० सदस्य विधान सभा, श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, मान० सदस्य विधान सभा, डा० ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ० प्र०, एवं नवागत वित्त नियंत्रक श्री राज प्रताप सिंह, को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया तथा माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया। तदोपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुयी एवं निम्नवत निर्णय लिया गया :-

प्रस्ताव सं० 173:1

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश सं० 1064/67-कृ.शि.अ.-15-400(79)/86 दिनांक 26 जून 2015 के क्रम में निर्गत शासनादेश सं० 1403/67-कृ.शि.अ.-16-400(79)/86 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2016 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्बर्ग में स्वीकृत 25 पदों को भरे जाने से सम्बन्धित शासनादेश जो कि विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 द्वारा अनुमोदित किया जा



चुका है, को एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मानक के अनुसार पदों का विभागवार वितरण करते हुए विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने एवं उक्त पदों की शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद की बैठक में उर्पयुक्त प्रस्ताव शासनादेश सं० 1064/67-कृ.शि.अ.-15-400(79)/86 दिनांक 26 जून 2015 के क्रम में निर्गत शासनादेश सं० 1403 / 67-कृ.शि.अ.-16-400(79)/86 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2015 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में शैक्षिक सम्वर्ग के स्वीकृत 25 पदों को भरे जाने से सम्बन्धित शासनादेश जो कि विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के मानक के अनुसार पदों का विभागवार वितरण करते हुए विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने एवं उक्त पदों की शैक्षिक अर्हता (संलग्नक परिशिष्ट-1)को अनुमोदित किये जाने के प्रस्ताव को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्ताव सं० 173:2

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश सं० 2/2015/2136/67-कृ.शि.अ.-14-1500(124)/12 टी.सी.। लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 2015 जिसको प्रबन्ध परिषद की 167वीं बैठक मद सं० 167:1 द्वारा अनुमोदनोपरान्त 34 पदों को विज्ञापित किया गया था, को शासनादेश सं० 1028/67-कृ.शि.अ.-16-ए०क्यू० 3003 /82 दिनांक 24 अगस्त 2016 में निहित प्राविधानों के अनुरूप विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 के अनुमोदन के क्रम में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजन में आरक्षण की नई व्यवस्था के अनुसार रोस्टर एवं शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय उपरान्त विज्ञापन सं० 1/2015 को निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापित करने के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध परिषद की बैठक में उर्पयुक्त प्रस्ताव शासनादेश सं० 2/2015/2136/67-कृ.शि.अ.-14-1500(124)/12 टी.सी.। लखनऊ दिनांक 12 जनवरी 2015 जिसको प्रबन्ध परिषद की 167वीं बैठक मद सं० 167:1 द्वारा अनुमोदनोपरान्त 34 पदों को विज्ञापित किया गया था, परन्तु आरक्षण प्रक्रिया में नाननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश आ जाने के पश्चात् प्रदेश शासन से इस संबंध में आरक्षण प्रक्रिया के विषय में नये दिशा निर्देश हेतु किये गये पत्राचार के उपरान्त शासन से प्राप्त शासनादेश



सं० 1028 / 67- कृ.शि.अ.-16-ए०क्यू० 3003 /82 दिनांक 24 अगस्त 2016 में निहित प्राविधानों के अनुरूप विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 के अनुमोदन के क्रम में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजन में आरक्षण की नई व्यवस्था के अनुसार रोस्टर एवं शैक्षिक अर्हता (संलग्नक परिशिष्ट-2) के अनुमोदन एवं विज्ञापन सं० 1/2015 को निरस्त करते हुए स्वीकृत पदों को पुनः विज्ञापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं० 173:3 : कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश सं० 1028/67-कृ.शि.अ.-16-ए०क्यू० 3003/82 दिनांक 24 अगस्त 2016 द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश जिस पर विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 में अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है, को विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद की बैठक में उर्पयुक्त प्रस्ताव शासनादेश सं० 1028/67-कृ.शि.अ.-16-ए०क्यू० 3003 /82 दिनांक 24 अगस्त 2016 (संलग्नक परिशिष्ट-3) द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदों पर आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश जिस पर विद्वत परिषद की बैठक सं० 244 दिनांक 08-09-2016 में अनुमोदन प्राप्त किया गया। विद्वत परिषद से प्राप्त अनुमोदन एवं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ में समतुल्य पदों के विषय में लागू प्रक्रिया के साथ माननीय उच्च न्यायालय के अपर अधिवक्ता से अभिमत प्राप्त किया गया (संलग्नक परिशिष्ट-4)। विद्वत परिषद के अनुमोदन, ली गयी विधिक परामर्श को ध्यान में रखते हुए संस्तुति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति (संलग्नक परिशिष्ट-5) का अनुमोदन प्राप्त किया गया। कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ़ एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के लिए सृजित पदों को भरने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के अनुसार सृजित पदों को भरने संबंधी प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



प्रस्ताव सं० 173:4

कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखा संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति 2008 के ग्यारहवें प्रतिवेदन के अनुक्रम में पदों के वेतन विसंगतियों के निराकरण / पुर्नगठन के संबंध में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं 38/2016/449/67-कृशिअ-16-1500(43)/14 दिनांक 30 जून 2016 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा लेखा संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति 2008 के क्रम में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र०शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 38/2016/449/67-कृशिअ-16-1500(43)/14 दिनांक 30 जून 2016 के संबंध में वित्त उप समिति द्वारा विचार किया गया । सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा यह संस्तुति प्रदान की गयी कि शासनादेश को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने से पूर्व पदों की स्थिति के विवरण के साथ इससे लाभान्वित कर्मचारियों के ऊपर कितना वित्तीय व्यय भार आयेगा, इसका अंगणन करते हुए पूर्ण विवरण के साथ वित्त उपसमिति की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं० 173:5

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ०प्र०शासन लखनऊ के पत्र संख्या 1404/67 -कृशिअ-15-1500 (159)/07 दिनांक 28 अगस्त, 2015 में संदर्भित शासनादेश सं 1/2015/जी०-2-23/दस-2015-301/85 टीसी० दिनांक 16-02-2015 द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्धि को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ०प्र०शासन लखनऊ के पत्र संख्या 1404/67 -कृशिअ-15-1500(159)/07 दिनांक 28 अगस्त, 2015 में संदर्भित शासनादेश सं 1/2015/ जी०-2- 23/दस-2015-301/85 टीसी० दिनांक 16-02-2015 द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में की गयी वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।



प्रस्ताव सं० 173: 6

एन०एफ०एस०एम० द्वारा वित्त पोषित " Creation of Seed Hubs for increasing indigenous Production of Pulse in India" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा एन०एफ०एस०एम० द्वारा वित्त पोषित "Creation of Seed Hubs for increasing indigenous Production of Pulse in India" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया ।

अन्य बिन्दु:-

क-

31 मार्च 2014 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं०3 जनरल एवं सोशल सेक्टर में इंगित की गयी आडिट आपत्तियों के संबंध में ।

31 मार्च 2014 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 3 जनरल एवं सोशल सेक्टर में इंगित की गयी आडिट आपत्तियों के संबंध में दिये गये प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रस्तारों पर व्याख्यात्मक टिप्पणी के विषय में शासन के पत्र संख्या 852/67-कृशिअ-15-1500(14)/15 दिनांक 09 अप्रैल 2015 जो विश्वविद्यालय में दिनांक 12-04-15 को प्राप्त हुआ है के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुयी ,तदोपरान्त प्रकरण को विशेष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की कार्यवाही सम्पन्न करने का कुलपति ने सम्बन्धित वित्त नियंत्रक, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया था, परन्तु उक्त पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । विगत दिनों शासन में लोक लेखा समिति(पी०ए०सी०) की बैठक में मिले दिशा-निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी ।

ख-

स्थानीय निधि लेखा द्वारा निर्गत आडिट आपत्तियों के संबंध में ।

स्थानीय निधि लेखा संवर्ती सम्परीक्षा द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 1975-76 से लम्बित चली जा रही 16000 से अधिक अनिस्तारित आडिट आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं संबंधित को जारी किये गये दिशा निर्देश के संदर्भ में माननीय कुलपति जी के साथ सम्परीक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित कर उसमें लिये गये निर्णय तथा समयबद्ध अवधि में सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया तथा कुलपति ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्परीक्षा आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया और न ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अवगत कराया गया । यह अत्यन्त खेद का विषय है । इनसे अवगत होने के पश्चात किये जा रहे प्रयासों के विषय में प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया जिससे प्रबन्ध परिषद अवगत हुयी ।



ग-

प्रमुख सचिव, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश सं0 44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त 2015 में यह आदेशित किया गया है कि:-

“ भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी नियुक्तियाँ किये जाने के कृत्य को दण्ड की श्रेणी का माना जायेगा और इस प्रकार के नियुक्त किये गये कार्मिकों को हुये भुगतान की वसूली नियुक्त करने वाले अधिकारी के वेतन /अन्य देयों से की जायेगी” तथा

“ यथा आवश्यकता अधिसंख्य पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से कराते हुए अपने नियंत्रणाधीन विभागों तथा विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपकरणों /निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में उपरोक्तानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त सचिव, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश सं0 9/2016/वे0आ0-2-201/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0 दिनांक 24 फरवरी 2016 में यह आदेशित किया गया है कि:-

“ भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना उपरोक्त श्रेणी की नियुक्तियों को संज्ञेय आपराधिक कृत्य माना जायेगा और इस प्रकार के नियुक्त किये गये कार्मिकों को देय भुगतान की वसूली नियुक्त करने वाले अधिकारियों के वेतन एवं अन्य देयों से की जायेगी ”।

उपरोक्त से प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया जिसको प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

माननीय कुलपति महोदय ने अन्त में प्रबन्ध परिषद के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा डा0 ज्ञान सिंह, निदेशक कृषि उ0प्र0, को प्रबन्ध परिषद की बैठक हेतु निदेशालय का सभाकक्ष आवंटित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया एवं विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी निदेशालय का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया कि प्रबन्ध परिषद के पूर्व माननीय सदस्या डा0 रेहाना सिद्दीकी का दिनांक 12-09-2016 को आकस्मिक निधन हो गया, जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने दुःख प्रकट किया। डा0 रेहाना सिद्दीकी के आकस्मिक निधन पर 02 मिनट का मौन रखा गया एवं ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना की गयी। विश्वविद्यालय की तरफ से उनके परिवार को शोक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।


बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।




(राज प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

नरेन्द्र देव कृपि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0-173वीं विशेष बैठक/लेखा/2016/840 दिनांक 16-09-16
प्रतिलिपि -माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित।



16-09-16
(अख्तर हसीब)
कुलपति/अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद




(राज प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

Proceedings of the meeting of all the faculty members of the College of Veterinary Science & A.H. held on 7th August 2016 at 3:00PM at College Committee Room.

A meeting of all the Faculty members under the chairmanship of Dean, C.V.Sc. & A.H. was held at the College Committee room on 07.09.2016 at 3:00pm to discuss about the qualifications for recruitment of the posts of Professor, Associate professor and Assistant professor for the college of Veterinary Science & Animal Husbandry. The following faculty members were present.

1. Dr. H. N. Singh, Dean
2. Dr. Sonu Jaiswal, HOD, TVCC
3. Dr. Sushant Srivastava, HOD, VGO
4. Dr. R. K. Singh, HOD, AHE
5. Dr. Namita Joshi, HOD, VPE
6. Dr. D. Niyogi, HOD, VPP
7. Dr. Rachna Varma, HOD, VPT
8. Dr. V. K. Singh, HOD, ANN
9. Dr. V. K. Singh, HOD, AGB
10. Dr. Manoj Kumar Verma, Asstt. Prof, AGB
11. Dr. Rama Kant, Asstt. Prof, VCM
12. Dr. S.V. Singh, Asstt. Prof, VCM
13. Dr. Rishi kant, Asstt. Prof, VPT
14. Dr. Mukesh Kumar, Asstt. Prof, VAN
15. Dr. K.N. Singh, Asstt. Prof, VAN
16. Dr. S.K. Maurya, Asstt. Prof, VPB
17. Dr. V.K. Pal, Asstt. Prof, VPA
18. Dr. R.P. Diwakar, Asstt. Prof, VMC
19. Dr. Vibha Yadav, Asstt. Prof, VMC
20. Dr. Vishudhanand, Asstt. Prof, ILFC
21. Dr. K.D.Singh, Asstt. Prof, ILFC
22. Dr. Subodh Sachan, HOD, ILFC
23. Dr. S.P. Singh, Asstt. Prof, ILFC
24. Dr. Chandra Shekhar, Assec. Prof., VPE
25. Dr. Ruma Devi, Asstt. Prof, LPT


7.9.16

All the Faculty members discussed the matter at length and expressed their views considering the guideline of UGC and ICAR and latest advertisements in the SAU's and state Veterinary Universities and finally the following decisions were taken.

A. Minimum Qualification for the post of Professor (Pay Scale of Rs. 37400-67000+AGP Rs. 10000)

- i. A recognized veterinary qualification included in the first and second schedule in Indian Veterinary Council Act; 1984 & must be registered with a State Veterinary Council / Veterinary Council of India.
- ii. B.V.Sc. & A. H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iii. Master degree in the concerned subject with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iv. An eminent scholar with Ph.D. qualification in the concerned subject and published work of high quality actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publication as book and / or research / policy papers.
- v. A minimum of 10(ten) years experience in teaching / research / extension education in university / college / institution in concerned subject out of which at least 2 years should be as Associate Professor or equivalent in the Pay Scale of Rs. 37400-67000+AGP Rs. 9000, excluding the period spent for doing Ph. D.
- vi. Experience of guiding students at Master's / Doctoral level.
- vii. Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses and technology-mediated teaching learning process.
- viii. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) Based Performance.

B. Minimum Qualification for the post of Associate Professor (Pay Scale of Rs. 37400-67000+AGP Rs. 9000)


- i. A recognized veterinary qualification included in the first and second schedule in Indian Veterinary Council Act; 1984 & must be registered with a State Veterinary Council / Veterinary Council of India.

Handwritten signature and date
7.9.11

- ii. B.V.Sc. & A. H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iii. Master degree in the concerned subject with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iv. Ph.D. qualification in the concerned subject and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 05 publication as book and / or research / policy papers.
- v. A minimum of 08(eight) years experience in teaching / research / extension education in university / college / institution in concerned subject as Assistant Professor or equivalent in the Pay Scale of Rs. 15600-39100+AGP Rs. 6000, or Rs. 8000-13500 (pre-revised) excluding the period spent for doing Ph. D.
- vi. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) Based Performance.


C. Minimum Qualification for the post of Assistant Professor (Pay Scale of Rs. 15600-39100+AGP Rs. 6000)

- i. A recognized veterinary qualification included in the first and second schedule in Indian Veterinary Council Act; 1984 & must be registered with a State Veterinary Council / Veterinary Council of India.
- ii) B.V.Sc. & A. H. with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iii) Master degree in the concerned discipline with at least 55% marks or its equivalent grade in the point scale.
- iv) For the candidate having Master degree, NET is compulsory along with one publication in NAAS rated referred journal for recruitment to the post of Assistant Professor in the discipline in which NET is conducted. Essentiality of NET can be waived off for the candidates holding Ph.D. degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC regulation 2009, and the candidate has at least two full length publications having a NAAS rating not less than 4.0, on the last date of submission of the application. Those candidates with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET exemption (As per ICAR order: No. 23 (46)/2010-EQR (Edn.) Dated Dec.26,2011)


17.9

Note:

- i) NET will not be an essential qualification for the Assistant Professor in the discipline in which NET is not conducted.
- ii) Ph.D. degree should be with the course work as prescribed by the UGC regulation 2009.
- iii) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) Based Performance.
- iv) A relaxation of 5% may be provided at the graduate and master,s level for the SC/ST/Differently- abled (Physically and visually handicapped) categories for the purposed of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. Rounding off of marks to make it to 55% or 50% as the case may be through the grace mark procedure etc., by universities is not permissible for claiming relaxation.
- v) As per UGC letter No. F.17-8/2013 (PS) dated 01 march, 2016 is as follows "The period of active service spent on pursuing research Degree i.e. for acquiring Ph.D. Degree simultaneously without taking any kind of leave may be count as teaching experience for the purpose of direct recruitment/promotion to the post of Associate Professor and above."


Dr. H.N Singh
(Dean)

7.9.16

Office of the Dean

College of Veterinary Science and Animal Husbandry

N.D. University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Faizabad.

No. NDUAT-53/1/2016/

Dated September, 2016

Distribution of recently sanctioned 25 post vide G.O. No. 1403/67-Kri.Shi.Aa.-16-400(79)/86TC dated 26.8.2016

Allotment of New Posts

Sl. No.	Name of Department	Professor	Assoc Professor	Assistant Professor
1.	Veterinary Anatomy	-	1	-
2.	Veterinary Physiology and Biochemistry	-	2	-
3.	Veterinary Pharmacology and Toxicology	-	-	1
4.	Vet. Parasitology	-	-	-
5.	Vet. Microbiology	-	-	-
6.	Vet. Pathology	-	-	-
7.	Vet. Public Health and Epidemiology	-	1	2
8.	Animal Nutrition	-	-	2
9.	Animal Genetics and Breeding	-	-	-
10.	Livestock Production and Management	-	-	-
11.	Livestock Products Technology	-	2	2
12.	Vet. Gynecology and Obstetrics	-	1	-
13.	Vet. Surgery and Radiology	-	1	-
14.	Vet. Medicine	-	1	2
15.	Vet. And Animal Husbandry Extension	-	1	-
16.	TVCC	-	-	1
17.	ILFC	01	-	3
Total		01	10	14


Dr. M. N. Singh
Dean
7.9.16

College of Vet. Sci. & A.H.
N.D.U.A.T. Kumarganj, Faizabad.

Requisite Qualifications for Direct Recruitment for the posts of Professor, Associate Professor & Assistant Professor for the College of Agriculture at Azamgarh Campus:


1. Professor: Agronomy (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 10,000)


- (i) An eminent scholar with Ph.D. qualification in Agronomy.
- (ii) Published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research papers/policy papers.
- (iii) A Master's Degree in Agronomy with at least 55% marks (Or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
- (iv) A minimum of 10 years of teaching/research/extension experience including three years as Associate Professor or equivalent (in the Pay Band Rs. 37400-67000 with AGP Rs. 9000) in University/College and/or experience in research at the University/National level Institutions including experience of guiding the students for research at Doctorate level. The period of time taking by the candidates to acquire Ph.D. degree shall not be considered as teaching/research/extension experience.
- (v) Contribution to educational innovation, design new curricula and course and technology-mediated teaching learning process.
- (vi) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) as per ICAR/UGC regulations*.



1. Associate Professor: Agronomy (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Agronomy.
- (ii) A Master's Degree in Agronomy with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

* For details, Please see ICAR/UGC websites:


11/06/15


11/6


11/11/15

11/11/15

- (iii) Minimum of 8 years of experience of teaching/research/extension in a academic/research position equivalent to that of Assistant Professor (in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 6000/7000/8000) in a University/ College or Accredited Research Institutions, excluding the period to acquire Ph.D degree. Research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research papers/policy papers.
- (iv) Contribution to educational innovation, design new curricula and course and technology-mediated teaching learning process with evidence of having guided candidates at P.G. level for their research work.
- (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) as per ICAR/UGC regulations*.

2. Associate Professor: Genetics & Plant Breeding (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Genetics & Plant Breeding.
- (ii) A Master's Degree in Genetics & Plant Breeding with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

3. Associate Professor: Soil Science & Agril. Chemistry (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Soil Science & Agril. Chemistry/ Soil Science/Agril. Chemistry.
- (ii) A Master's Degree in Soil Science & Agril. Chemistry/ Soil Science/Agril. Chemistry with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

[Handwritten signature] 11/6/15 *[Handwritten signature]* 11/6

[Handwritten signature] 11/6/15

[Handwritten signature] 11/6
[Handwritten signature] 11/6/15

4. Associate Professor: Entomology (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Entomology.
- (ii) A Master's Degree in Entomology with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

5. Associate Professor: Agril. Economics (Pay Band Rs. 37400-67000 AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Agril. Economics.
- (ii) A Master's Degree in Agril. Economics with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

6. Associate Professor: Agril. Engineering (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Agril. Engineering.
- (ii) A Master's Degree in Agril. Engineering with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).


Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1


7. Associate Professor: Plant Pathology (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):


- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Plant Pathology.
- (ii) A Master's Degree in Plant Pathology with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).


Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1


11/6/15


11/6


11/6


11/6/15


11/6/15

8. Associate Professor: Horticulture (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Horticulture.
- (ii) A Master's Degree in Horticulture with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

9. Associate Professor: Agril. Extension (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Agril. Extension/Agril. Extension Education.
- (ii) A Master's Degree in Agril. Extension/Agril. Extension Education with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

10. Associate Professor: Bio-chemistry (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Bio-chemistry/Agril. Bio-chemistry.
- (ii) A Master's Degree in Bio-chemistry/Agril. Bio-chemistry with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

11. Associate Professor: Agril. Statistics (Pay Band Rs.37400-67000AGP Rs. 9000):

- (i) Good academic record with Ph.D. Degree in Agril. Statistics.
- (ii) A Master's Degree in Agril. Statistics with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

Note:(iii), (iv) & (v) will be same as in case of Associate Professor, Agronomy mentioned at Sl. No.1

[Handwritten signatures and dates]
11/06/15 (8) 11/6/15 11/6/15 11/6/15

1. Assistant Professor: Agronomy (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs, 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Agronomy from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.
- (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC/CSIR/ ICAR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) the candidates who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/Institutions.
- (iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in discipline for which NET/SLET/SET is not conducted.
- (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) as per ICAR/UGC regulations*.


2. Assistant Professor: Genetics & Plant Breeding (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)


- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Genetics & Plant Breeding from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.


* For details, Please see ICAR/UGC websites:

 (9)
11/11/15


11/06/15


11/16


11/11/15


11/16

3. Assistant Professor: Soil Science & Agril. Chemistry (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Soil Science & Agril. Chemistry/ Soil Science/Agril. Chemistry from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

4. Assistant Professor: Entomology (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Entomology from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.


Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.


5. Assistant Professor: Agril. Economics (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Agril. Economics from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.


Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.


11/6/15


11/6


11/6


11/6/15


11/6/15

6. Assistant Professor: Agril. Engineering (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Agril. Engineering from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

7. Assistant Professor: Plant Pathology (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Plant Pathology from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.


8. Assistant Professor: Horticulture (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Horticulture from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

9. Assistant Professor: Forestry (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Forestry from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page. One signature is dated 11/6/15. Another signature is dated 11/7/15. A third signature is dated 11/6/15. There are also some illegible handwritten notes and marks.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

10. Assistant Professor: Agril. Extension (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Agril. Extension/Agril. Extension Education from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

11. Assistant Professor: Physiology (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Crop/Plant Physiology from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.


12. Assistant Professor: Microbiology (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)

- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in Microbiology/Agril. Microbiology from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

13. Assistant Professor: Agril. Statistics (Pay Band Rs.15600-39100 AGP Rs. 6000)


- (i) Good academic records as defined by the University with at least 55% marks (Or an equivalent grade in the point scale wherever grading system is followed) at


 11/6/15

(12)

 11/6/15

 11/6



 11/6

the Master's degree level in Agri. Statistics from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign University.

Note: (ii), (iii), (iv) & (v) will be same as in case of Assistant Professor, Agronomy, mentioned at Sl. No. 1.

Note: A relaxation of 5% may be provided at the Graduate and Master's level for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Different-abled (Physically and Visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic record during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures.

[Signature]
11/06/15

[Signature]
11/6

[Signature]
11/6/15

[Signature]
11/6

[Signature]
11/6/15

प्रेषक,

मनोज मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
फैजाबाद / मेरठ / कानपुर / बांदा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

विषय:- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के पदों पर आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रशासनिक अधिकारी, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्रांक-एन.डी.यू.ए.टी. 07/स्था.-4/2016/103 दिनांक 20.04.2016 द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 19.02.2016 कृषि विश्वविद्यालयों में भी लागू होंगे अथवा नहीं, के संबंध में शासन स्तर से उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 19.02.2016 एवं 30.11.2015 की प्रतियों प्रेषित करते हुए कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/मेरठ/बांदा से आख्या मांगी गयी। इस संदर्भ में कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक-सवप/2016/का.अनु/4600 दिनांक 01.08.2016 एवं कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक-वी.सी./183/2016 दिनांक 15.05.2016 द्वारा प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराते हुए उचित दिशा निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-6/2015-918/सत्तर-1-2015-17(13)/1995 टी.सी. दिनांक 30.11.2015 तथा शासनादेश सं०-4/2016/239/सत्तर-1-2016-17(13)/1995 टी.सी. दिनांक 19.02.2016 (प्रति संलग्न) में निहित व्यवस्था कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में लागू किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेशों की व्यवस्था अपनाने पर अनापत्ति प्रदान की गयी है। अतः कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों दिनांक 30.11.2015 एवं 19.02.2016 में निहित व्यवस्था कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में यथाप्रकिया लागू कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भारतीय

(मनोज मिश्र)
सचिव।

सं०-1028(1)/67-कृषिअ-16-तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कुलसचिव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/फैजाबाद/मेरठ/बांदा।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
4. कार्मिक अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 30 नवम्बर, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4, सन् 1994) एवं तदन्वयित निर्गत रोस्टर के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त प्रवक्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) को सम्मिलित करते हुये एक पृथक संवर्ग तथा इसी प्रकार उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) को समस्त पदों को सम्मिलित करते हुये एक पृथक संवर्ग मानते हुए भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1694/सत्तर-1-2003-17(13)/95 दिनांक 01 अगस्त 2003 निर्गत किया गया था।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-35197/2006 डा0 दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-67912/2006 प्रव कुमार त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-5625/2003 डा0 मनता वर्मा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-7-2008 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायित विशेष अपील याचिका संख्या-12271-12273/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-7-2015 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समस्त प्रवक्ता को सम्मिलित करते हुये एक पृथक संवर्ग तथा इसी प्रकार उपाचार्य के समस्त पदों को सम्मिलित करते हुये एक पृथक संवर्ग मानते हुए भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1694/सत्तर-1-2003-17(13)/95 दिनांक 01 अगस्त, 2003 को अवकमित करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर हेतु पृथक तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक विभाग को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने का आदेश एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती हेतु उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

जितेंद्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

214
12.4.16

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-35197/2006 डा0 दुर्गा प्रसाद मादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-67912/2006 ध्रुव कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-5625/2008 डा0 ममता वर्मा व अन्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-12271-12273/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम दुर्गा प्रसाद मादव व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-7-2015 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पृथक् तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक् विभाग को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-6/2015-916/सत्तर-1-2015-17(13)/1995 ए0सी0 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 निर्गत किया गया है। प्रोफेसर के पद पर आरक्षण प्रत्येक विषय को एक यूनिट मानते हुये लागू किये जाने तथा जिन विभागों में प्रोफेसर का एकल पद है उन्हीं आरक्षण लागू न होने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-411/सत्तर-1-2003-17(13)/95 दिनांक 26 सई 2003 निर्गत किया गया है।

2- राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उक्त शासनादेशों के संदर्भ में भर्ती हेतु शिक्षकों के पदों में आरक्षण की गणना के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों में आरक्षण की गणना के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों को अनुपालन किया जाय :-

- (1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4, सन् 1994) के अन्तर्गत इंदिरा साहनी बनाम यूनिटन आफ इंडिया ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 477, 1992 एसयूपीपी 2 एस0सी0 आर0 454 में मा0 उच्चतम न्यायालय

TODAY Most Imp
I have several
inquiries such as
Alvin Q0
लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2016

is over
8, 2016

Seen
82
20/4/16

ifaryab Jilani

Additional Advocate General,
Uttar Pradesh, Lucknow



Office : High Court, Lucknow
Lucknow-226001
Residence & Chamber
Near Baisi ki Masjid,
Model House, Lucknow.
Phone : (R) 2611383
Phone : (O) 2629787
Mobile No.: +9415026551
Fax : 0522-2622208 (O)
E-mail: ifaryab.jilani@gmail.com

Dated: 14/09/2016

OPINION

TODAY
NOTHING
TIME BOUND

Receipt
No. 5024
Signature: 15/9/16
Office of the Vice-Chancellor
H. D. U. A. & T., Fzd.

L. DAM/AAOI/II To,
The Vice Chancellor,
Narendra Dev University of Agriculture & Technology,
Kumarganj,
Faizabad.
memo
Sub: Opinion regarding the manner of applicability of Government Orders dated 19/02/2016 & 30/11/2015 on the posts of Associate Professors & Assistant Professors in the College of Veterinary Science and Animal Husbandary as well as in the College of Agriculture, Azamgarh.
Dear Sir,

The Vice Chancellor,
Narendra Dev University of Agriculture & Technology,
Kumarganj,
Faizabad.
memo
Sub: Opinion regarding the manner of applicability of Government Orders dated 19/02/2016 & 30/11/2015 on the posts of Associate Professors & Assistant Professors in the College of Veterinary Science and Animal Husbandary as well as in the College of Agriculture, Azamgarh.

Dear Sir,
The Government Order dated 01/08/2003, provided that the Roster shall be prepared in respect of Cadre of Lecturers and Readers treating the University as a Unit. This was provided in paragraph 4 of the said Government Order dated 01/08/2003 which was challenged in writ petition no. 53197 of 2006 (Dr. Durga Prasad Yadav and Others Vs. State of U.P. & Others.) This writ petition was decided by Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad on 24/07/2008 along with writ petition no. 67912 of 2006 (Dhruv Kumar Tripathi Vs. State of U.P. & Others) and writ petition no. 5625 of 2008 (Dr. Mamta Verma Vs. State of U.P. & others). The judgment of the Hon'ble High Court dated 24/07/2008 given in the aforesaid cases was challenged by the State Government before

the Hon'ble Supreme Court in Petition for Special Leave to

Sir,
A copy of letter is sent for n.a. please

PA-VC 15/9

OS

15/09/16
DAM
15/9/16

4/10/16

Appeal (C) No. 12271-12273 of 2009 which was decided on 06/07/2015. By the aforesaid order dated 06/07/2015 Hon'ble Supreme Court had dismissed the Special Leave Petitions by holding that no ground for interference was made out to exercise the Jurisdiction under Article 136 of the Constitution of India. Thus the judgment and order dated 24/07/2008 given in the aforesaid writ petition of Dr. Durga Prasad Yadav & others was affirmed by the Hon'ble Supreme Court. In the aforesaid judgment and order dated 24/07/2008 the Hon'ble High Court of Allahabad had categorically held that paragraph 4 of the aforesaid Government Order dated 01/08/2003 providing for the preparation of the Roster treating the University as a Unit for the said posts of Lecturers and Readers was illegal and the same was quashed.

During the pendency of the aforesaid Special Leave Petitions the Allahabad High Court had the occasion to consider the same matter in writ petition A No. 39334 of 2012 (Dr. Narendra Singh & others Vs. State of U.P. & others). In this case the advertisement issued by Dr. Bheem Rao Ambekar University, Agra dated 14.01.2012 was under challenge. The University had clubbed the posts of Readers and Lecturers for the purpose of reservation treating University as a Unit. The petitioners had challenged the said reservation relying upon the judgment of the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Dr. Dina Nath Shukla Vs. State of U.P. and another ALR1996(28) page 323 in which the Court has explained that reservation in the matter of appointment of Faculty Members in the University has to be applied treating the Department and Subject as a Unit and not University as whole as the Unit. This judgment of the Division Bench was affirmed by the




Hon'ble Supreme Court in the case of State of U.P Vs. Dr. Deena Nath Shukla and another (1997) 9 SCC page 662. Another judgment of the Hon'ble Supreme Court reported in AIR 1990 SC page 2023 was also relied upon in which it was held that reservation on the Faculty Posts in the University was to be applied Subject-wise & Department-wise. Several other cases were also referred in the said judgment and order dated 18.02.2014 given in the case of Dr. Narendra Singh.

It is, thus, evident that the ratio of the judgment given in Dr. Durga Prasad Yadav case decided on 24/07/2008 and affirmed by the Hon'ble Supreme Court on 06/07/2015 was the basis for issuing the notification dated 30/11/2015 & 19/02/2016 and by G.O. dated 30/11/2015 the Government Order dated 01/08/2003 was even superseded which was under challenge in the aforesaid cases of Dr. Durga Prasad Yadav & Dr. Narendra Singh etc. That being so, it is fully evident that by issuing the Government Orders dated 30/11/2015 & 19/02/2016 the intention of the Government was to give effect to the judgment and order of the Hon'ble High Court dated 24/07/2008 passed in Dr. Durga Prasad Yadav case which was affirmed by the Hon'ble Supreme Court on 06/07/2015. In all these cases referred to above Hon'ble High Court as well as Hon'ble Supreme Court have observed that the posts of Readers & Lecturers in the University are created Subject wise and appointments are also made Subject wise. A teacher of one Department cannot be treated to be a teacher of other Department. Hence the posts of Teachers of University cannot be clubbed together categorywise for applying reservation. Each Department of Teaching is a Separate Unit and therefore Reservation has to be applied Subjectwise.



In view of the aforesaid discussion I am of the view that each Department of teaching is a separate Unit and, therefore, reservation has to be applied Subjectwise and the word 'post' used in the context of U.P. Act No. 4 of 1994 has a relation to the Faculty, Discipline or the Subject for which it is created. As such the Reservation has to be post-wise and Subject-wise and the University or the College cannot be treated to be a Unit for the purpose of Reservation.

Yours Sincerely,


(Zafaryab Jilani)

14/9/16
Additional Advocate General, U.P.






Sir
A cc
sent



निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण ने पत्रांक-07/स्था0/का0अधी0/आजमगढ-वेटनरी कालेज/1387 दिनांक 07 सितम्बर, 2016 द्वारा अद्यत कराया है कि माननीय कुलपति जी ने नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, तथा कृषि महाविद्यालय जनपद-आजमगढ में शैक्षिक सम्वर्ग के पदों के भरे जाने के लिये रोस्टर तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। समिति की आज दिनांक 15.9.2016 को 3.30 बजे उक्त दोनों महाविद्यालयों के रोस्टर तैयार करने हेतु एक बैठक निदेशक शोध के कार्यालय में आयोजित की गयी, बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1. डा0 भगवान सिंह, कृषि अधिष्ठाता/निदेशक शोध - कुम्भेनर
2. डा0 हर नाम सिंह, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय - सदस्य
3. डा0 भानु प्रताप - सदस्य
4. डा0 अशोक कुमार - सदस्य
5. डा0 अछे लाल भादव - कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य

समिति के सभी सदस्यों ने सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1028/67-कृशिअ-10 ए0क्यू0/3003/82 दिनांक 24.8.2016 (पताका-क) एवं प्रमुख सचिव कृषि के पत्र सं0- 4/2016/239/सत्तर-1-2016-17 (13)/1955 टी0सी0 दिनांक 19 फरवरी, 2016 (पताका-ख) का संज्ञान लिया एवं उच्च न्यायालय के अपर अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत सं0-मेमो दिनांक 14.9.2016 (पताका-ग) का संज्ञान लेते हुये कृषि महाविद्यालय, आजमगढ एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (पताका-घ) एवं पशु पालन महाविद्यालय, कुमारगंज (पताका-ङ) के रिक्त पदों को भरने के लिये सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी सूची का अवलोकन करने के उपरान्त समिति इस निर्णय पर पहुँची कि दोनों महाविद्यालयों के किसी भी विभाग में तथा किसी भी संवर्ग में 04 या 04 से अधिक पद उपलब्ध नहीं है। अतः पताका-ख पर संलग्न प्रमुख सचिव महोदय के पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किसी भी पद पर आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः समिति के सभी सदस्य दोनों महाविद्यालयों के लिये आरक्षण रोस्टर तैयार करने में असमर्थ हैं समिति की संस्तुति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (भानु प्रताप) सदस्य

 (अशोक कुमार) सदस्य

 (अछे लाल भादव) सदस्य

 (हरनाम सिंह) सदस्य

 (भगवान सिंह) कुम्भेनर


 (प्रदीप कुमार सिंह) अध्यक्ष

 (प्रदीप कुमार सिंह) अध्यक्ष

EXPER. 5/11/16
 1352
 15/9/16

निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

7 रोस्टर तैयार किए जाते हेतु समिति की उपरोक्त संस्तुति का अनुसूचित प्रदत्त कार्य की संस्तुति की जाती है।

Man: b/c
 15-09-16

18/9/16
 15/09/16